न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– **01/316/2014**

1. रामकरण पुत्र मूलचन्द दत्तक पुत्र भरता जाति माली निवासी बिना पटटी तहसील राजगढ जिला अलवर .....वादीगण

बनाम्

1 बाबूलाल पुत्र प्रभु जाति माली
2 मु0 सेढी पत्नी प्रभु जाति माली
3 लक्ष्मण पुत्र मूलचन्द जाति माली
4 मन्ना पुत्र मूलचन्द जाति माली
5 सुलतान पुत्र रामसहाय जाति माली
6 रामपाल पुत्र रामसहाय जाति माली
7 धन्ना पुत्र रामसहाय जाति माली
8 गोविन्दा पुत्र रामसहाय जाति माली
9 मातादीन पुत्र रामसहाय जाति माली
10 मु0 परभाती बेवा रामसहाय जाति माली समस्त निवासीयान बीना पट्टी तहसील राजगढ जिला अलवर .....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित : 1. श्री सुरेन्द्र माथुर एड0– वादी
2 श्री मोहनलाल जैमन एड0– प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक 01.03.2021**

1 आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 28/0.20, 29/0.02, 61/0.16, 81/0.05, 85/0.15, 30/0.03, 31/0.02, 25/0.02, 1166/0.06, 1173/0.02, 1174/0.01, 1175/0.02, 1176/0.02, 1177/0.02, 1178/0.02, 1179/0.02, 1180/0.09, 1181/0.02, 1182/0.10, 1183/0.05, 1187/0.05, 1189/0.15, 1190/0.12, 108/0.25, 60/0.23, 61/0.09, 62/0.05, 63/0.11, 68/0.18, 109/0.

06, 110/0.12, 111/0.05, 112/0.06, 136/0.10, 137/0.11, 138/0.07, 139/0.08, 140/0.11, 141/0.15, 67/183/0.06, 69/184/0.10, 69/0.52, 70/0.04, 81/0.20 वाके ग्राम बीना पट्टी तहसील राजगढ में अवस्थित है। उक्त आराजी उभय पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी वादीगण को मृतक भरता पुत्र चौथा की विरासत से प्राप्त हुई। विवादित आराजी भरता पुत्र चौथा की कब्जे काश्त की आराजी, जो मिन वादी का सगा चाचा लगता था, की खातेदारी आराजी थी। भरता के कोई सन्तान नही थी इसलिए उसकी सेवा मिन वादी ने की और उसकी मृत्यु के बाद भरता की विरासत का इन्तकाल वादी के हक में स्वीकार हुआ। विवादित आराजी में प्रतिवादी भी मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2053–56 के हिस्सेदार थे। जिनका मिन वादी के हिस्से की आराजी से कोई मुतनाजा से कोई सरोकार नही हैं। प्रतिवादीगण वादीगण को उसकी आराजी से बेदखल करना चाहते है तथा उसके काश्त कार्य में रूकावट मजामत पैदा करते है। अन्त में निवेदन किया कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो उक्त विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल न करे, कार्य काश्त में रूकावत मजाहमत न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 7 से 9 असालतन व वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनके द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी 2, 6, 10 बाद सूचना तामिल उपस्थित न्यायालय नही आये। उनकी तरफ से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र रामकरण का पेश किया गया शपथ पत्र में वाद पत्र अंकित तथ्यों की पुष्टि की है।

सत्यमेव जयते

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील वादी ने वाद पत्र के अंकित तथ्यों को दौहराते हुए उल्लेख किया गया कि वादी की हाल आराजी खसरा नम्बर 28/0.20, 29/0.02, 61/0.16, 81/0.05, 85/0.15, 30/0.03, 31/0.02, 25/0.02, 1166/0.06, 1173/0.02, 1174/0.01, 1175/0.02, 1176/0.02, 1177/0.02, 1178/0.02, 1179/0.02, 1180/0.09, 1181/0.02,

1182/0.10, 1183/0.05, 1187/0.05, 1189/0.15, 1190/0.12, 108/0.25, 60/0.23, 61/0.09, 62/0.05, 63/0.11, 68/0.18, 109/0.06, 110/0.12, 111/0.05, 112/0.06, 136/0.10, 137/0.11, 138/0.07, 139/0.08, 140/0.11, 141/0.15, 67/183/0.06, 69/184/0.10, 69/0.52, 70/0.04, 81/0.20 वाके ग्राम बीना पट्टी तहसील राजगढ में अवस्थित है। उक्त आराजी उभय पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी वादीगण को मृतक भरता पुत्र चौथा की विरासत से प्राप्त हुई। विवादित आराजी भरता पुत्र चौथा की कब्जे काश्त की आराजी, जो मिन वादी का सगा चाचा लगता था, की खातेदारी आराजी थी। भरता के कोई सन्तान नही थी इसलिए उसकी सेवा मिन वादी ने की और उसकी मृत्यु के बाद भरता की विरासत का इन्तकाल वादी के हक में स्वीकार हुआ। विवादित आराजी में प्रतिवादी भी मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2053–56 के हिस्सेदार थे। जिनका मिन वादी के हिस्से की आराजी से कोई मुतनाजा से कोई सरोकार नही हैं। प्रतिवादीगण वादीगण को उसकी आराजी से बेदखल करना चाहते है तथा उसके काश्त कार्य में रूकावट मजामत पैदा करते है। अन्त में निवेदन किया कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो उक्त विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल न करे, कार्य काश्त में रूकावत मजाहमत न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

4. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अभिवचन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् तीन महत्वपूर्ण शर्ते इस प्रकार है कि–

> ***(अ) वादी का विवादित आराजी पर स्वामित्व होना चाहिए। विवादित आराजी के संबंध में वादी ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है उस आराजी पर वादी का स्वामित्व होना अति आवश्यक है।***

5. प्रकरण में वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा वादी व प्रतिवादी की संयुक्त आराजी होने पर वादी व प्रतिवादी का उक्त आराजी पर प्रत्येक भाग पर मुताबिक हिस्सा संयुक्त स्वामित्व है। इसलिए वादी का उपरोक्त विवादित आराजी पर एकल स्वामित्व नही है क्योकि सहखातेदारी की आराजी का जब तक नियमानुसार बंटवारा नही हो जाता है तब तक

सहखातेदारी की आराजी में सभी पक्षकारान का एक–एक इंच पर मुताबिक हिस्सा संयुक्त स्वामित्व रहता है ना कि एक पक्षकार का किसी विशिष्ट भाग पर स्वामित्व रहता है। अतः शर्त संख्या–1 वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित नही होने से अपूर्ण प्रतीत होती है।

(ब) वादी का विवादित आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन होना आवश्यक है। अर्थात् वादी का संबंधित आराजी पर विशिष्ट भाग पर नियमानुसार तकसीम के पश्चात् वैध कब्जा होना चाहिए।

6. प्रकरण में वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी की संयुक्त आराजी है। जब तक मुतनाजा आराजी का नियमानुसार बंटवारा नही हो जाता तब तक सहखातेदारी की आराजी पर वादी या प्रतिवादी को किसी विशिष्ट भाग पर काश्त करने का कोई अधिकार/विकल्प नही होता है। अतः शर्त संख्या–2 वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित नही होने से अपूर्ण प्रतीत होती है।

(स) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करने पर वादी को अपूरणीय क्षति सम्भावित है। अर्थात् आराजी मुतनाजा से अगर कब्जेकाश्त खातेदार वादीगण को दीगर व्यक्ति द्वारा आराजी मुतनाजा के उपभोग एवं आमद–रफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होना सम्भावित है।

7. उक्त मुतनाजा आराजी सहखातेदारी की आराजी है जिसमें सभी पक्षकारो का प्रत्येक भाग पर मुताबिक हिस्सा स्वामित्व एवं अधिकार है। यदि संयुक्त खातेदारी की आराजी में से कब्जेकाश्त खातेदार वादीगण को दीगर व्यक्ति द्वारा आराजी मुतनाजा के उपभोग एवं आमद–रफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होना सम्भावित है। विचाराधीन प्रकरण में वादी द्वारा केवल स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया है जबकि वादी को तकसीम का दावा प्रस्तुत करते हुये स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना चाहिये था। यह सुस्थापित नियम है कि सहखातेदार बिना बंटवारा करवाये संयुक्त खातेदारी की आराजी पर सहखातेदारो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है क्योंकि संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रत्येक इंच आराजी पर सभी सहखातेदारो का मुताबिक हिस्सा हक्क व कब्जा होता है। अतः प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के सहखातेदार होने व आराजी का बंटवारा नही होने के कारण वादी के पक्ष में शर्त संख्या–3 भी स्पष्ट रूप से पूर्ण होती हुई प्रतीत नही होती है। अतः सुस्थापित नियम को स्पष्ट रूप से साबित नही होने पर दावा वादी स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हाल आराजी खसरा नम्बर 28/0.20, 29/0.02, 61/0.16, 81/0.05, 85/0.15, 30/0.03, 31/0.02, 25/0.02, 1166/0.06, 1173/0.02, 1174/0.01, 1175/0.02, 1176/0.02, 1177/0.02, 1178/0.02, 1179/0.02, 1180/0.09, 1181/0.02, 1182/0.10, 1183/0.05, 1187/0.05, 1189/0.15, 1190/0.12, 108/0.25, 60/0.23, 61/0.09, 62/0.05, 63/0.11, 68/0.18, 109/0.06, 110/0.12, 111/0.05, 112/0.06, 136/0.10, 137/0.11, 138/0.07, 139/0.08, 140/0.11, 141/0.15, 67/183/0.06, 69/184/0.10, 69/0.52, 70/0.04, 81/0.20 वाके ग्राम बीना पट्टी तहसील राजगढ जिला अलवर वाद में सुस्थापित नियम की पालना नही होने पर दावा वादी अस्वीकार किया जाता है। *इसी अनुसार पर्चा डिक्री बनायी जावें।*

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/316/2014	दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा	08.12.2014	01.03.2021

1. रामकरण पुत्र मूलचन्द दत्तक पुत्र भरता जाति माली निवासी बिना पटटी तहसील राजगढ जिला अलवर . ...वादीगण

बनाम्

1. बाबूलाल पुत्र प्रभु जाति माली
2. मु0 सेढी पत्नी प्रभु जाति माली
3. लक्ष्मण पुत्र मूलचन्द जाति माली
4. मन्ना पुत्र मूलचन्द जाति माली
5. सुलतान पुत्र रामसहाय जाति माली
6. रामपाल पुत्र रामसहाय जाति माली
7. धन्ना पुत्र रामसहाय जाति माली
8. गोविन्दा पुत्र रामसहाय जाति माली
9. मातादीन पुत्र रामसहाय जाति माली
10. मु0 परभाती बेवा रामसहाय जाति माली समस्त निवासीयान बीना पट्टी तहसील राजगढ जिला अलवर ....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित : 1. श्री सुरेन्द्र माथुर एड0– वादी
2 श्री मोहनलाल जैमन एड0– प्रतिवादी

<u>पर्चा डिकी</u> **<u>दिनांक 01.03.2021</u>**

सत्यमेव जयते

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हाल आराजी खसरा नम्बर 28/0.20, 29/0.02, 61/0.16, 81/0.05, 85/0.15, 30/0.03, 31/0.02, 25/0.02, 1166/0.06, 1173/0.02, 1174/0.01, 1175/0.02, 1176/0.02, 1177/0.02, 1178/0.02, 1179/0.02, 1180/0.09, 1181/0.02, 1182/0.10, 1183/0.05, 1187/0.05, 1189/0.15, 1190/0.12, 108/0.25, 60/0.23, 61/0.09, 62/0.05, 63/0.11, 68/0.18, 109/0.06, 110/0.12, 111/0.05, 112/0.06, 136/0.10, 137/0.11, 138/0.07, 139/0.08, 140/0.11, 141/0.15,

67/183/0.06, 69/184/0.10, 69/0.52, 70/0.04, 81/0.20 वाके ग्राम बीना पट्टी तहसील राजगढ जिला अलवर वाद में **सुस्थापित नियम की पालना नही होने पर दावा वादी अस्वीकार किया जाता है।**

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.03.2021 को तैयार की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

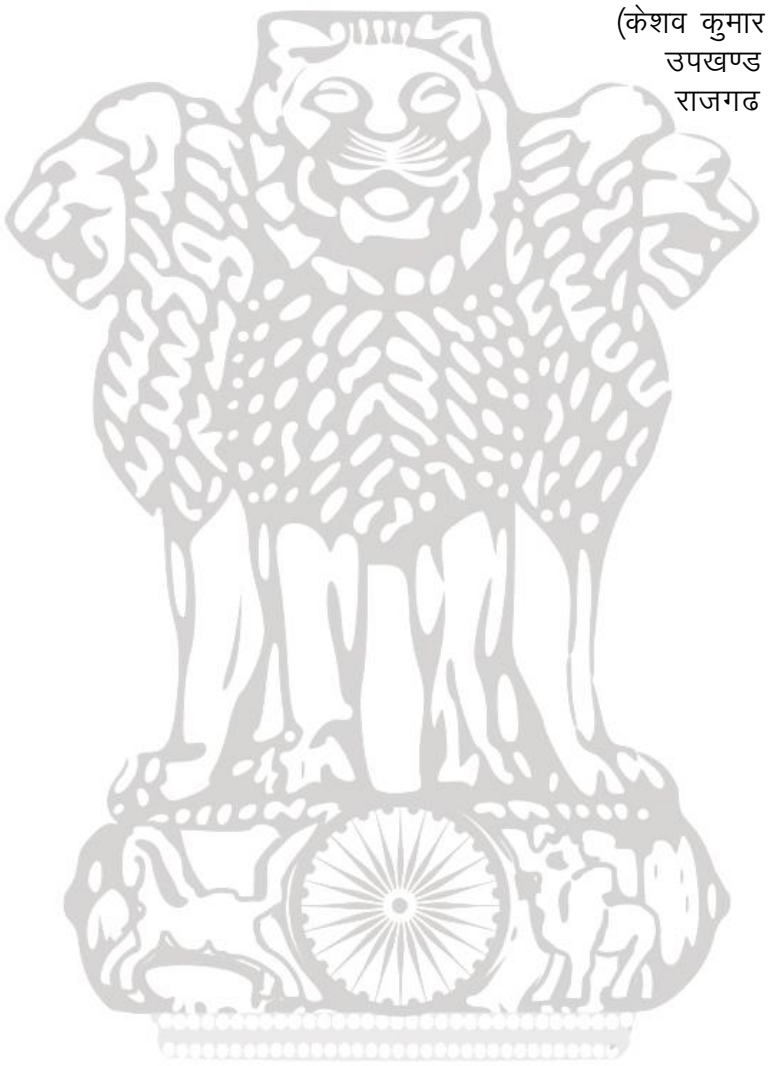

सत्यमेव जयते